न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2025/190
अपील संख्या 122/2025
लड्डू पुत्र दयाल मीना निवासी मोरन, तहसील मित्रपुरा जिला स0मा0 । तारीख रजू 23.09.2025
--- अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर।
--- रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति –
श्री रविन्द्र कुमार मीना एडवोकेट – अपीलार्थी की ओर से
पेरोकार राजस्व – रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 26.11.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार मित्रपुरा द्वारा मिसल नम्बर 107/25 बउनवानी सरकार बनाम लड्डू मे पारित आदेश दिनांक 18.08.2025 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम मोरन के आराजी खसरा नम्बर 2284/883, 2292/920, 891, 896 रकबा 0.22 किस्म गै.मु.रास्ता/चाही2 पर संवत 2082 फसल खरीफ मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया के अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी ख0नं0 2284/883, 2292/920, 891, 896 रकबा 0.22 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ता चाही–2 वाके ग्राम मोरन पर प्रार्थी अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर दो माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जबकि अपीलान्ट की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात के पास में स्थित है। प्रार्थी का कोई अतिक्रमण उक्त आराजी पर नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय करने से पूर्व प्रार्थी अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर नहीं दिया गया व एक तरफा निर्णय पारित कर अहम भूल की गयी जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा मौके पर से अपना कब्जा हटा लिया गया है व भविष्य में कभी कब्जा नहीं करेगा। वकील अपीलान्ट द्वारा [illegible] प्राधिकारी सवाई माधोपुर में विचाराधीन अपील संख्या 36/22 आदि पेशी दिनांक 11.03.25 अपील मीमो की प्रमाणित प्रति पेश की गई तथा निवेदन किया गया कि उक्त खसरानम्बरान से संबंधित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:32:59 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में वर्ष 2022 से चल रही है। अतः तहसीलदार का आदेश दिनांक 18.08.25 खारिज किये जाने योग्य है। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2025 को निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। पेरोकार सरकार ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय के समक्ष पेश की गई अपील में अपीलार्थी ने ख0नं0 883 एवं 920 को अपने खातेदारी का होना बताया है जबकि अपीलार्थी के द्वारा अपने खातेदारी होने के संबंध में जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी आदि नकले पेश नहीं की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91 (3) का नोटिस जारी किया गया है जिस पर स्वयं अपीलान्ट की तामील हुई है जिसके बाबजूद भी अपीलान्ट नियत दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में जानबूझ कर उपस्थित नहीं हुआ है। अतः अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयानों के आधार पर हो जाती है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित की गयी भूमि अथवा स्वयं की खातेदारी में होने के संबंध में अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुदृढ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पूर्ववर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता हो, अथवा स्वयं की खातेदारी साबित होती हो। अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया होने एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 18.08.2025 यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:32:59 IST
Reason: SelfAttested